दिनांक 25.07.2016 को माननीय श्री हरबंस सिंह ब्रसकोन, हि.प्र.से0 अतिरिक्त जिलाधीश,जिला सिरमौर, की अध्यक्षता में श्री जय सिंह ठाकुर एण्ड सन्स निवासी 119/10 देवी नगर, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर की बोहार लाइम स्टोन माइन निकट ग्राम बोहार, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर के करीब 4.15 हैक्टयर में, लाईम स्टोन की प्रतिवर्ष खनन उत्पादन क्षमता 95,800 टन करने के लिये हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के सौजन्य से पर्यावरण मंजूरी हेतू ग्राम बनौर, तहसील पांवटा साहिब में आयोजित जन सुनवाई की कार्यवाही।

जन सुनवाई के दौरान उपस्थित समिति के सदस्यों तथा लोगों की सूची अनुबन्ध 'क' पर है1

-0-

सर्व प्रथम हि0प्र0 राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पर्यावरण अभियंन्ता श्री अविनाश कुमार शारदा द्वारा अध्यक्ष महोदय तथा अन्य लोगों का जन सुनवाई हेतु स्वागत किया तथा अध्यक्ष महोदय की अनुमति पर जन सुनवाई को प्रारम्भ किया गया1 श्री शारदा, पर्यावरण अभियन्ता ने बताया श्री जय सिंह ठाकुर एण्ड सन्स निवासी 119/10 देवी नगर, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर की बोहार लाइम स्टोन माइन निकट ग्राम बोहार, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर में 4.75 हैक्टयर में लाईम स्टोन के खनन की प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता 95800 टन करने के लिये अनुमति प्रदान करने हेतु जन सुनवाई का आयोजन किया गया उन्होने कहा कि उक्त खनन से होने वाले प्रभावों के लिये लोगो से आपत्ति तथा सुझावों को अध्यक्ष महोदय के समक्ष रखने का आह्वान किया तथा कहा कि कोई भी व्यक्ति उक्त लाईम स्टोन में खनन के लिये किसी भी प्रकार की आपत्ति आशंकायें हों तो वे निर्भय होकर अध्यक्ष महोदय के समक्ष प्रस्तुत कर सकते है1 अध्यक्ष महोदय ने जन सुनवाई के दौरान उपस्थित लोगो को स्पष्ट किया कि उनके द्वारा खनन से होने वाले प्रभावों व सुझावों एंव आपत्तियों को यथा स्वरुप सम्बन्धित विभाग को प्रस्तुत करेगें तथा आह्वान किया कि वे बिना किसी भय से निर्भिक हो अपनी आपत्तियों व सुझावों को जन सुनवाई के दौरान प्रस्तुत कर सकते है1

बोहार लाईम स्टोन माइन निकट ग्राम बनोर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर के प्रतिनिधि ने जन सुनवाई के दौरान माईन क्षेत्र से खनन के बारे विस्तार से विस्तृत रिर्पोट प्रस्तुत की तथा बताया कि माइन स्थल से खनन की उत्पादन क्षमता 95800 टन वार्षिक किया जाना प्रस्तावित है1 उन्होनें बताया कि उक्त माइन में खनन की स्वीकृति 2035 तक प्राप्त की गई है1 उन्होनें बताया कि खनन ओपन कास्ट मांइस वन रहित क्षेत्र में खनन क्षेत्र के सतह से किया जायेगा जिससे जल स्त्रोतों को कोई नुकसान नहीं होगा । कार्य दिन के समय ही किया जाता है तथा सांय 6.00 बजे के बाद कोई खनन कार्य नहीं किया जाएगा1 उन्होने बताया कि

7

उन्होने बताया कार्य स्थल पर कार्य के दौरान 6 मीटर चौडी तथा ऊंची बैंच बनाई जायेगी तथा मलबा/वेस्ट को प्रस्तावित स्थल पर समायोजित किया जायेगा तथा उसका प्रयोग रिटेंनिग वाल चैक डैम तथा अन्य निर्माण कार्यो में किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से होने वाली धूल इत्यादि को कम करने के लिये खनन क्षेत्र में नियमित रुप से पानी का छिड़काव किया जायेगा। खनन का कार्य पूर्ण रुप से निर्धारित मापदण्डों के अनुरुप वैज्ञानिक तरीके से किया जायेगा। उन्होने प्रभावित क्षेत्रों के विकास पर किये जाने वाले व्यय तथा कार्यो का उल्लेख किया तथा बताया कि सम्बन्धित पंचायत के सहयोग व गठित ग्रामीण विकास समिति के माध्यम से प्रत्येक वर्ष 2 लाख रू0 क्षेत्र के विकास के लिये व्यय किये जायेगे। उन्होनें स्पष्ट किया कि खनन क्षेत्र में खनन के बाद भूमि पर वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित किया गया है। जन सुनवाई के दौरान निम्नलिखित व्यक्तियों ने अपने सुझाव व आपत्यिां व्यक्त की जिसका विवरण निम्नानुसार हैः-

क. स.	नाम, पता एंव सुझाव व आपत्तियां	टिप्पणी
1.	श्री सुनील चौहान, प्रधान ग्राम पंचायत बनौर ने माइन का समर्थन करते हुये व्यक्त किया कि बनौर क्षेत्र भौगोलिक रुप से कृषि एंव बागवानी के लिये उपयुक्त नहीं है। अधिकतर लोगो के रोजगार का मुख्य साधन माईन में खनन कार्य ही है। उन्होनें मांग की कि खनन का कार्य निर्धारित मापदण्डों के अनुसार ही किया जाये तथा क्षेत्र में लोगो को चिकित्सा सुविधा उपलबध करवाने के लिये एक एम्बूलैंस की व्यवस्था की जाये। क्षेत्र में धूल मिटटी की रोकथाम के लिये नियमित रुप से क्षेत्र में पानी का छिडकाव किया जाये। उन्होनें खनन कार्य करने के लिये अपनी सहमति व समर्थन व्यक्त किया।	श्री जय सिंह ठाकुर एण्ड सन्स निवासी 119/10 देवी नगर, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर की बोहार लाइम स्टोन माइन निकट ग्राम बोहार, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर के महा प्रबन्धक श्री आर0पी0 तिवारी ने आश्वासन दिया कि अन्य माईन मालिकों के साथ संवाद कर 3 महीने के भीतर लोगो को चिकित्सा सुविधा की उपलब्धता हेतू एम्बूलैंस की व्यवस्था कर दी जायेगी।
2.	श्री सन्त राम चौहान पूर्व चैयरमैन बीडीसी ने व्यक्त किया कि क्षेत्र में माईन कार्य ही क्षेत्र का मुख्य रोजगार है तथा स्थानीय लोगो को रोजगार मिला हुआ है क्योंकि कृषि हेतू भूमि पर लगाई गई फसलों को जंगली जानवर/बन्दर काफी नुकसान करते हैं जिस कारण माईन के रोजगार से ही स्थानीय लोगो का जीवन यापन हो रहा है।स्थानीय लोग भी इस खनन कार्य से जुडे हुये हैं। इन माइनों द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र व अन्य सामाजिक कार्यो में नियमित रुप से सहयोग किया जा रहा है और उन्होंने मांग की कि लोगों के लिये एम्बूलैसं उपलब्ध करवाई जाये। उन्होनें खनन कार्य करने के लिये अपनी सहमति व्यक्त की।	बोहार माईन के महा प्रबन्धक श्री आर0पी0 तिवारी ने आश्वासन दिया कि अन्य माईन मालिकों के साथ संवाद कर 3 महीने के भीतर लोगों को चिकित्सा सुविधा की उपलब्धता हेतू एम्बूलैंस की व्यवस्था कर दी जायेगी।

3.	डा0 नरेन्द्र चौहान निवासी डिमटवाड बनौर ने जन सुनवाई के दौरान अपने विचार व्यक्त करते हुये कहा कि विकास के लिये पर्यावरण का सुक्ष्म असर होना स्वाभाविक है क्योंकि क्षेत्र में माईन ही स्थानीय लोगो की आय का मुख्य स्त्रोत है तथा प्रति व्यक्ति आय में बढोतरी हुई। उन्होनें व्यक्त किया कि माईन प्रबन्धन द्वारा स्थानीय पंचायतों को पूरा सहयोग प्रदान किया जा रहा है । उन्होने आग्रह किया कि खनन मालिक और स्थानीय लोगो के बीच में मानसिक और आर्थिक समानता रहनी चाहिये तथा खनन के बाद क्षेत्र में व्यापक पौधारोपण किया जाये। उन्होनें व्यक्त किया कि गांव हमारा है अगर एक पेड कटता है तो हमारा काम है पेड लगाना एंव खनन कार्य वैज्ञानिक तरीके से होना चाहिये। उन्होनें खनन कार्य करने पर अपना समर्थन व्यक्त किया ।	बोहार लाईम स्टोन माइन निकट ग्राम बनौर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर के प्रतिनिधि ने आश्वासन दिया कि उनके द्वारा खनन क्षेत्र में खनन के बाद पौधारोपण किया जाना उनकी योजना में पहले से ही प्रस्तावित किया गया है।
4.	श्री रणबीर चौहान निवासी बनौर ने जन सुनवाई के दौरान अपने विचार रखते हुये कहा कि खनन कार्य से उसका मलबा नीचे खालों में आ रहा है जिस कारण पानी की कूहलें तथा भूमि को नुकसान हो रहा है। सभी प्रभावित परिवारों को नुकसान का मुआवजा नहीं मिल रहा है। उन्होनें बताया कि कोई पेड पौधे नहीं लगाये गये हैं तथा न ही पानी का टैंकर नियमित रूप से आ रहा है।	बोहार लाईम स्टोन माइन निकट ग्राम बनोर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर के महा प्रबन्धक श्री आर0पी0 तिवारी ने आश्वासन दिया कि उनकी माईन में कार्य प्रारम्भ होने पूर्व उनकी समस्याओं का समाधान किया जायेगा। उन्होनें आश्वस्त किया कि माईन चले या ना चले लेकिन सार्वजनिक हितों के साथ कोई समझौता नहीं किया जायेगा। पहले जनहित के कार्य तथा उनकी समस्याओं का निवारण ही उनकी प्राथमिकता होगी।
5.	श्री अतर सिंह चौहान निवासी ग्राम खतवाड ने व्यक्त किया कि क्षेत्र में माइन का कार्य ही स्थानीय लोगो की आय का मुख्य स्त्रोत है तथा मांग की कि जैसे जे0एस.टी प्रबन्धकों द्वारा ग्राम बल्द्धवा में माईन में कार्य किया है उसी प्रकार से माईन का कार्य प्रस्तावित स्थल पर किया जाये तथा स्थानीय लोगों को रोजगार हेतू प्राथमिकता दी जाये । उन्होनें व्यक्त किया कि सही मापदण्डो/खनन नियमों के अनुसार खनन कार्य करने से उन्हें कोई आपत्ति नहीं है एंव मलबे का उचित प्रबन्ध करें। खान दो साल से बन्द है चलाने से पहले क्षेत्र के लोगों से सम्पर्क बनाये तथा खनन कार्य करने में अपनी सहमति व्यक्त की।	बोहार लाईम स्टोन माइन निकट ग्राम बनोर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर के प्रतिनिधि ने आश्वासन दिया कि उनके द्वारा खनन क्षेत्र में खनन का कार्य निर्धारित मापदण्डो तथा नियमों के अन्तर्गत ही किया जायेगा तथा जनहित का पूरा ख्याल रखा जायेगा।

6.	श्री जय प्रकाश निवासी बनौर ने जन सुनवाई के दौरान व्यक्त किया कि माईनें चलने से मलबा आता है एंव सभी को उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है।	बोहार लाईम स्टोन माइन निकट ग्राम बनोर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर के प्रतिनिधि ने आश्वासन दिया कि उनके द्वारा खनन क्षेत्र में खनन का कार्य निर्धारित मापदण्डों तथा नियमों के अन्तर्गत ही किया जायेगा तथा जनहित का पूरा ख्याल रखा जायेगा।
7.	श्री नेत्र सिंह चौहान निवासी बनौर ने जन सुनवाई के दौरान व्यक्त किया कि क्षेत्र में माईन प्रबन्धन वर्ग न केवल बनोर क्षेत्र बल्कि पूरे आंज भोज क्षेत्र में लोगो के समाजिक कार्यो तथा अन्य दैनिक कार्यो में सदैव सहयोग करते आ रहे है तथा मांग की कि माईन कार्य बन्द नहीं होने चाहिये इनके कारण ही आंज भोज की 13 पंचायतों को लाभ हो रहा है । उन्होनें मांग की कि सड़क मार्ग के नजदीक स्कूलों के आस पास भी पानी का छिड़काव किया जाता रहे तथा एम्बूलैसं की सुविधा प्रदान की जाये। उन्होने व्यक्त किया कि खनन कार्य वैज्ञानिक तरीके से किया जाये तथा खनन कार्य नवीनतम तकनीक से किया जाये तो पर्यावरण की दृष्टि से ठीक रहेगा। उन्होनें माइन से कार्य करने पर अपना समर्थन व्यक्त किया।	बोहार लाईम स्टोन माइन निकट ग्राम बनोर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर के महा प्रबन्धक श्री आर0पी0 तिवारी ने आश्वासन दिया कि उनकी माईन में कार्य प्रारम्भ होने पूर्व उनकी समस्याओं का समाधान किया जायेगा। उन्होनें आश्वासन दिया कि अन्य माईन मालिकों के साथं संवाद स्थापित किया जायेगा एंव 3 महीने के भीतर लोगो को चिकित्सा सुविधा की उपलब्धता हेतू एम्बूलैंस की व्यवस्था कर दी जायेगी।
8.	श्री चतर सिंह चौहान पूर्व प्रधान, बनौर ने व्यक्त किया कि क्षेत्र में माईन के कार्य वैज्ञानिक तरीके से चलने चाहिये तथा व्यक्त किया कि इन कार्यो से बडा रोजगार मिला हुआ है। उन्होनें बताया कि खनन कार्य से आंज भोज क्षेत्र की तरक्की हुई है तथा मांग की कि खनन कार्य से प्रभावित लोगो के नुकसान के अनुसार उचित मुआवजा दिया जाये जो विश्वसनीय व्यक्ति हो उसे नुकसान की भरपाई हेतू खनन मालिक के पास भेजा जाये। उन्होनें मांग की कि खनन कार्य से जिन कूहलों, सडकों व पीने के पानी की पाईप लाईनों का नुकसान हुआ है उन्हें तत्काल ठीक करवाया जाये। उन्होनें बताया कि माईन प्रबन्धन द्वारा एक सामुदायिक भवन उपलब्ध करवाया गया है तथा पुनः मांग की कि प्रभावित परिवारों की समस्याओं का तत्काल समाधान किया जाना चाहिये तथा लोगो की सुविधा के लिये एम्बूलैस की व्यवस्था करने का आग्रह किया।	बोहार लाईम स्टोन माइन निकट ग्राम बनोर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर के महा प्रबन्धक श्री आर0पी0 तिवारी ने आश्वासन दिया कि उनकी पहली प्राथमिकता स्थानीय जनहित की समस्याओं एंव माईन में कार्य प्रारम्भ होने पूर्व उनकी समस्याओं का समाधान किया जायेगा। उन्होनें ने आश्वासन दिया कि अन्य माईन मालिकों के साथं संवाद स्थापित किया जायेगा एंव 3 महीने के भीतर लोगों को चिकित्सा सुविधा की उपलब्धता हेतू एम्बूलैंस की व्यवस्था कर दी जायेगी।

	उन्होनें खनन कार्य करने में अपनी सहमति व्यक्त की 1	
9.	श्री केहर सिंह चौहान निवासी बनौर ने माइन क्षेत्र में पानी की समस्या है एंव हैण्ड पम्प ठीक नहीं है कूंहलें एंव रास्ते टूटे हुये है। उन्हें पता ही नहीं चलता कि खनन मालिको द्वारा सामाजिक कार्यो में कितना और कहां व्यय किया गया है1 उन्होनें मांग की कि सामाजिक कार्यो पर किये गये व्यय का सबको पता चलना चाहिये तथा माईन कार्य सिस्टम एंव वैज्ञानिक तरीके से किया जाये1 जो लोग माईनो पर कार्य करते है उन्हें पूरा पैसा नहीं मिलता1 पानी की समस्या है तथा पानी नहाने तथा कपड़े धोने के लिये भी नहीं मिलता है1 प्रभावित लोगो को मुआवजा सबके सामने ही दिया जाये ताकि पारदर्शिता बनी रहे तथा खनन कार्य करने में अपनी सहमति व्यक्त की	बोहार लाईम स्टोन माइन निकट ग्राम बनोर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर के महा प्रबन्धक ने आश्वासन दिया कि उनके लिये जनहित ही सर्वोपरि है तथा माईन पर खनन कार्य को निर्धारित मापदण्डों के अनुसार ही किया जायेगा तथा सामाजिक कार्यो में किये गये व्यय पर और अधिक पारदर्शिता लाई जायेगी1
10.	श्री तोता राम शर्मा ने अपने विचार व्यक्त करते हुये कहा कि खनन कार्य से पीने का पानी गन्दा हो रहा है । मलबा आने से अधिक नुकसान हो रहा है तथा माईन कार्य बंद करने की मांग की1	बोहार लाईम स्टोन माइन निकट ग्राम बनोर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर के प्रतिनिधि ने बताया कि खनन कार्य स्थल की सतह पर किया जाता है जिससे पीने के पानी के स्त्रोतों को कोई नुकसान नहीं होता है1 मामले पर हस्ताक्षेप करते हुये हि0प्र0 राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पर्यावरण अभियन्ता श्री अविनाश कुमार शारदा ने जन स्वास्थ्य विभाग से चाहा कि वे पीने के पानी के स्त्रोत तथा सप्लाई की जांच करें कि कहीं पानी उनकी सप्लाई से गन्दा तो नहीं हो रहा है1 अध्यक्ष महोदय ने भी चाहा कि सम्बन्धित विभाग तत्काल इस बारे उचित कार्यवाही करें तथा लोगो को साफ पानी उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें1
11.	श्री रंगी लाल शर्मा, निवासी बनौर ने जन सुनवाई के दौरान अपने विचार व्यक्त करते हुये कहा कि माईन से क्षेत्र का फायदा ज्यादा हो रहा है तथा नुकसान कम हो रहा है1 स्थानीय लोगो को रोजगार मिला हुआ है1 उन्होनें खनन कार्य करने में अपनी सहमति व्यक्त की।	

हि.प्र. प्रदूषण नियत्रंण बोर्ड के अधिशासी अभियन्ता श्री ए.के. शारदा ने जन सुनवाई में पुनः आह्वान किया कि यदि किसी के मन में

किसी भी प्रकार की शंका हो तो जन सुनवाई के दौरान निःसंकोच व्यक्त कर सकता है। इसके अतिरिक्त जन सुनवाई के दौरान प्रस्तुत किये गये सुझावों एंव आपत्तियों का सारांश पुनः दोहराते हुए बताया कि बोहार लाइम स्टोन माइन निकट ग्राम बोहार, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर के पक्ष में लोगो द्वारा सहमति व्यक्त की गई है इसके अतिरिक्त प्रबन्धन वर्ग द्वारा जन सुनवाई के दौरान प्रस्तुत किये गये आपत्तियों को दूर करने का आश्वासन जन सुनवाई के दौरान दिया गया तथा अवगत करवाया गया कि माईन क्षेत्र में खनन कार्य से सम्बन्धित प्रत्येक 6 माह के भीतर सम्बन्धित विभाग द्वारा खनन कार्यो की समीक्षा/मानीटरिंग की रिर्पोट प्रस्तुत की जानी अनिवार्य की गई है। कोई अन्य आक्षेप तथा सुझाव प्राप्त न होने पर उन्होने अध्यक्ष महोदय से जन सुनवाई को समाप्त करने की अनुमति चाही।

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि हि.प्र. प्रदूषण नियत्रंण बोर्ड द्वारा उक्त माईन के खनन हेतु जन सुनवाई का मंच प्रदान किया गया है तथा हर्ष व्यक्त किया कि पर्यावरण को लेकर लोग काफी जागरुक हैं। उन्होने आहवान किया कि प्रबन्धन किसी भी तरह से गैर कानूनी तरीके से खनन का कार्य नही करें तथा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार ही खनन का कार्य किया जाये। उन्होनें व्यक्त किया कि खनन के लिये विस्फोटक सही मानकों के अनुसार ही उपयोग किया जाये ताकि किसी भी प्रकार के जल स्तर को नुकसान न हो। उन्होनें स्पष्ट किया कि जनहित को सर्वोपरि रखा जाये तथा प्रभावित परिवारों को नुकसान के अनुसार सही मुआवजा समय पर उपलब्ध करवाया जाये। अध्यक्ष महोदय ने चाहा कि खनन के बाद क्षेत्र में व्यापक पौधारोपण किया जाये ताकि क्षेत्र के विकास बाद भी पर्यावरण संतुलन को बनाये रखना सुनिश्चित किया जाये। उन्होनें आह्वान किया कि प्राकृतिक संसाधनों का दोहन इस प्रकार से किया जाना चाहिये कि आने वाली पीढी को कोई नुकसान न हो।

अन्त में अध्यक्ष महोदय का धन्यवाद करते हुये जन सुनवाई सम्पन्न हुई।

अध्यक्ष
(जनसुनवाई)–एवं–
अतिरिक्त उपायुक्त,
जिला सिरमौर ।